भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2428

मंगलवार, 10 दिसंबर, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना का कार्यान्वयन

2428. श्री अ. मनिः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति का ब्यौरा क्या है और इससे अब तक कितने स्टार्टअप लाभान्वित हुए हैं;

(ख) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है कि ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में स्टार्टअप भी स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना से लाभान्वित हों;

(ग) स्टार्ट-अप इंडिया सीड फंड योजना की शुरुआत से अब तक इसके अंतर्गत कितने स्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है;

(घ) सरकार द्वारा स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना के अंतर्गत महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना के परिणामस्वरूप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कितने रोजगारों का सृजन हुआ है; और

(च) स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना के कार्यान्वयन में आ रही प्रमुख चुनौतियों का ब्यौरा क्या है और सरकार किस प्रकार उनका समाधान कर रही है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जितिन प्रसाद)

(क) से (ग) : स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम (एसआईएसएफएस) को वर्ष 2021-22 से शुरू करते हुए 4 वर्ष की अवधि के लिए 945 करोड़ रुपये के कार्पस के साथ मंजूरी दी गई है। यह स्कीम पात्र स्टार्टअप्स को अवधारणा के साक्ष्य, प्रोटोटाइप विकास, उत्पाद परीक्षण, बाजार प्रवेश और वाणिज्यीकरण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। एसआईएसएफएस की विशेषज्ञ सलाहकार समिति (ईएसी) निधि के आबंटन के लिए इंक्यूबेटर्स का मूल्यांकन और चयन करती है। अनुमोदित इंक्यूबेटर, दिशानिर्देशों के अनुसार स्टार्टअप्स का चयन करते हैं। एसआईएसएफएस 1 अप्रैल, 2021 से लागू की गई है।

31 अक्तूबर, 2024 की स्थिति के अनुसार, इस स्कीम के तहत 902.74 करोड़ रुपए की कुल अनुमोदित निधि के साथ 213 इंक्यूबेटर्स का चयन किया गया है और अनुमोदित इंक्यूबेटर्स ने एसआईएसएफएस के तहत सहायता प्रदान करने के लिए 2,490 स्टार्टअप्स का चयन किया है।

सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए कई उपाय कर रही है कि ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों सहित पूरे देश के स्टार्टअप्स को स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम (एसआईएसएफएस) से लाभ मिले। इनमें स्कीम को बढ़ावा देने के लिए और इंक्यूबेटर्स को इसके लिए आवेदन करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए क्षमता निर्माण और सहायता प्रदान करने संबंधी कार्यशालाएं शामिल हैं। विशेष रूप से गैर-महानगरीय क्षेत्रों के, इंक्यूबेटर्स और स्टार्टअप्स को, आवेदन की स्थिति का पता लगाने और आवेदन से पहले और बाद के, दोनों प्रकार के अनुपालन हेतु सहायता प्रदान करने का भी प्रयास किया जा रहा है। सरकार ने एसआईएसएफएस के कार्यान्वयन के लिए एक डिजिटल पोर्टल (https://seedfund.startupindia.gov.in/) भी लॉन्च किया है, जो देश के सभी हिस्सों के उद्यमियों और स्टार्टअप्स के लिए पहुंच को आसान बनाता है। एसआईएसएफएस के तहत प्रदान किए जाने वाले लाभों को विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के माध्यम से भी प्रचारित किया जाता है।

(घ) : एसआईएसएफएस समावेशी स्कीम है और यह सभी पात्र स्टार्टअप्स को स्कीम के तहत निधियन के लिए आवेदन करने तथा स्कीम से लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित करती है। 31 अक्तूबर, 2024 की स्थिति के अनुसार, स्कीम के तहत निधियन के लिए इंक्यूबेटर्स द्वारा चुने गए कुल 2,490 स्टार्टअप्स में से 1,278 स्टार्टअप्स में कम से कम एक महिला निदेशक हैं।

(ड.) : 31 अक्तूबर, 2024 की स्थिति के अनुसार, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम के तहत अनुमोदित इंक्यूबेटर्स द्वारा सहायता प्राप्त लाभार्थी स्टार्टअप्स द्वारा 16,000 से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार (स्व-संसूचित) सृजित किए गए हैं।

(च) : एसआईएसएफएस को स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत एक प्रमुख क्षेत्र-निरपेक्ष स्कीम के रूप में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य विकास के शुरुआती चरणों में स्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता प्रदान करना था। स्कीम के कार्यान्वयन के दौरान उसकी पहुंच, उसे अपनाने, जागरूकता और क्षमता निर्माण से संबंधित कुछ पहलुओं के समाधान के लिए, सरकार द्वारा कई कदम उठाए गए हैं, जिसके परिणामस्वरूप स्कीम को बेहतर तरीके से अपनाया जा सका है। स्कीम के कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा किये गये विचार-विमर्श और उठाए गए प्रमुख कदमों का विवरण **अनुबन्ध-I** में दिया गया है।

*****

अनुबन्ध–I

दिनांक 10.12.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2428 के भाग (च) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

एसआईएसएफएस के तहत स्कीम की पहुंच बढ़ाने, जागरूकता और स्कीम को अपनाए जाने को बढ़ावा देने के साथ–साथ क्षमता निर्माण करने के लिए उठाए गए कदमों का विवरण:

1. **पहुंच**

स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम को एक क्षेत्र–निरपेक्ष पहल के रूप में शुरू किया गया था जिसका उद्देश्य विकास के शुरुआती चरणों में स्टार्टअप्स को सहायता प्रदान करना था। इस उद्देश्य को साकार करने और देश भर से भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, इस स्कीम को हितधारकों के लिए सुलभ बनाना और आवेदन की स्थिति का पता लगाने की प्रक्रिया आसान बनाना महत्वपूर्ण था। इस उद्देश्य के लिए, एसआईएसएफएस पोर्टल (https://seedfund.startupindia.gov.in/) को इस स्कीम को डिजिटल रूप से कार्यान्वित करने में समर्थ बनाने के लिए आसानी से उपयोग में लाये जाने वाले इंटरफेस के रूप में विकसित किया गया था।

2. **जागरूकता और स्कीम को अपनाना**

इस स्कीम का एक महत्वपूर्ण पहलू, महानगरों से बाहर स्थित स्टार्टअप्स के लिए प्रारंभिक पूंजी एकत्र करना है। इस पहुंच को प्राप्त करने के लिए, व्यापक उपाय किए गए हैं, जिसमें व्यापक कार्यशालाएं और हितधारकों की सहायता करना शामिल है, जिसमें जहां भी जरूरत हो, इंक्यूबेटर और स्टार्टअप्स के साथ व्यक्तिगत संपर्क शामिल है। इस स्कीम के तहत लाभों को स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत आयोजित विभिन्न अन्य राष्ट्रीय कार्यक्रमों और आयोजनों में भी प्रचारित किया जाता है, और इसमें सोशल मीडिया आउटरीच सहयोग प्रदान करता है।

3. **क्षमता निर्माण**

स्कीम के अन्तर्गत कई लाभार्थी प्रारंभिक चरण के संभावित लाभार्थी हैं, जिनमें नवोदित उद्यमी और उभरते इंक्यूबेटर शामिल हैं। इसके लिए बड़े पैमाने पर ईकोसिस्टम के क्षमता निर्माण के संबंध में समर्पित प्रयासों की आवश्यकता है। विशेष रूप से इंक्यूबेटर्स के लिए, इसमें निधियन प्रदान करने, स्टार्टअप की प्रगति की निगरानी करने और विकास के विभिन्न चरणों के माध्यम से स्टार्टअप्स को सहायता प्रदान करने की क्षमता शामिल है। स्टार्टअप्स के लिए, क्षमता निर्माण में उनके समग्र विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय कार्यक्रमों के संपर्क जैसे पहलू शामिल हैं, जिसमें व्यावसायिक प्रस्तावों का विकास, पिचिंग, उत्पाद विकास, बाजार पहुंच आदि शामिल हैं।

*****